संख्या-05/2018/46 ई-2/तेरह-2018-216/90

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 जनवरी,2018

विषय:- देश के बाहर अल्कोहल निर्यात किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-57/नौ-2016-17/अ0नि0/808/देश के बाहर/रेडिको, दिनांक 02 जनवरी,2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 जनवरी,2018 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-72/2016-2490 ई-2/तेरह-2016-216/90, दिनांक 07-12-2016 के अनुपालन में मेसर्स रेडिको खेतान लि0, जनपद रामपुर को कुल अवशेष मात्रा 71,76,500 ब0ली0 ई0एन0ए0 (शीरा आधारित) देश के बाहर निर्यात हेतु उक्त शासनादेश की वैधता अवधि दिनांक 30-11-2018 तक बढ़ाये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रदेश में शीरा/अल्कोहल की कमी होने पर देश के बाहर ई0एन0ए0 के निर्यात पर रोक लगाये जाने पर आसवक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in